उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-04 /2019/30/92-2-2019-53(जॉच)/2015,
लखनऊ :: दिनांक:: 07 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड महोबा में अधिशासी अभियन्ता द्वारा शासन के आदेशों के अनुरूप निर्माण कार्य सम्पादन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का परिपालन सुनिश्चित न करने, सौंपे गये पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, जनपद महोबा मे डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित मार्गों के निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका टी-1 में प्राविधानित व्यवस्था से इतर निविदा प्रक्रिया में अनियमितता व वित्तीय हस्त पुस्तिका मे विहित प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा सम्प्रति प्रखण्ड कानपुर नगर को आरोप पत्र देते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) निर्धारित समयावधि में शासन को उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-04 /2019/30(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 19.12.2018 के संबंध में ।
2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल लखनऊ ।
3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- श्री डी0डी0 पाठक, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-महोबा सम्प्रति प्रखण्ड कानपुर नगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in